

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के सचिव,

सेवा में,

श्री अरविंद कुमार सिन्हा,
(सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय),
बिहार स्टेट लिटिगेशन सेल के लिए संविदा पर
नियोजित विधि पदाधिकारी, पटना।

पटना, दिनांक-10 फरवरी, 2016 ।

विषय:- संविदा पर नियोजन की अवधि की समाप्ति के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्र सं0 शून्य, दिनांक 10.02.2016।


-----X-----

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विधि विभागीय ज्ञापांक 374/जे0, दिनांक 16.06.2015 के द्वारा बिहार स्टेट लिटिगेशन सेल के लिए संविदा पर नियोजन हेतु सृजित विधि पदाधिकारी के पद पर आपको दिनांक 10.02.2015 से अगले एक वर्ष तक नियोजित किया गया था जिसकी अवधि दिनांक 09.02.2016 को समाप्त हो गयी है।

यह आपके सूचनार्थ प्रेषित है।


विश्वासभाजन


(संजय कुमार) 11-2-16

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक- बी0/मु0स्था0-02-09/13/.....१५४...../जे0 पटना, दिनांक...11.02.16

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना /अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विधि विभाग, बिहार, पटना तथा विधि(लेखा शाखा) विभाग, बिहार, पटना (दोहरी प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 11-2-16

(संजय कुमार)

सरकार के सचिव, बिहार।